(540)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(36)नविवि/एनएएचपी/2014 जयपुर, दिनांक :– 23 DEC 2015

आदेश

विषय :– **मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में।**

दिनांक 27.11.2015 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग द्वारा प्राधिकरणो व नगर विकास न्यासों के अधिकारियों से हुई विडियों कॉन्फ्रेन्सिग में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 1ए के संबंध में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा गया था। इस संबंध में प्रश्नगत प्रावधान की व्याख्या की जाकर निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

1. 2 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक स्वतंत्र आवासों (प्लोटेड डवलपमेन्ट) की योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की एवज में विकासकर्ता से ली जावे। इस राशि की गणना आवासीय आरक्षित दर पर तथा जिन क्षेत्रों मे आरक्षित दर निर्धारित नहीं है, उस स्थिति में राशि की गणना सी.एल.सी. दर के आधार पर की जावे।
2. 5000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल पर फ्लैट निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर अनुमोदित एफ.ए.आर. के 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों का निर्माण अनिवार्य होगा। 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल पर फ्लैट प्रस्तावित होने की स्थिति में 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. के समतुल्य क्षेत्रफल पर विकासकर्ता से 100 रूपयें प्रति वर्गमीटर की दर से राशि ली जावे।

   उक्त राशि का संधारण शैल्टर फण्ड के रूप में किया जायेगा तथा इसका उपयोग ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासीय योजनाओं के विकास एवं रख–रखाव हेतु किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

23/12/15

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Orders/Circulars